न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-3, अलवर

पीठासीन अधिकारी : ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दांडिक निगरानी संख्या-94/24

सी.आई.एस नंबर -104/24

1. तरूण सैनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सैनी निवासी 33 एच बैंक कॉलोनी अलवर राज.

.....निगरानीकार परिवादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जन अभियोजक अलवर
2. आयुक्त महोदय, नगर परिषद अलवर
3. अतिक्रमण अधिकारी महोदय राकेश शर्मा, नगर परिषद अलवर
4. जन स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर परिषद अलवर
5. सीएसआई महोदय, नगर परिषद अलवर
6. दिनेश पुत्र कजोड निवासी 51 बैंक कॉलोनी अलवर
7. कैलाश पुत्र लालाराम निवासी 53, बैंक कॉलोनी अलवर
8. लोकेश पुत्र लालाराम निवासी 53, बैंक कॉलोनी अलवर
9. लालाराम निवासी 53, बैंक कॉलोनी अलवर

....गैरनिगरानीकार/अभियुक्तगण

''दांडिक निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांकित 30.01.2024 जो कि न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा प्रकरण तरूण सैनी बनाम नगर परिषद वगै. प्रकरण संख्या 22/75/24 में पारित किया गया''

उपस्थिति:-

1.श्री तरूण सैनी, विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।

2.श्री अजीत यादव, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से ।

DEEPA JOSHI
Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.02.27 16:25:55 +0530

3.श्री भंवर सिंह नरूका, श्री वेदप्रकाश, श्री उदय सिंह जादौन विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार की ओर से ।

आदेश **दिनांक:-27-02-2026**

1. यह दांडिक निगरानी न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा प्रकरण तरूण सैनी बनाम नगर परिषद वगै. प्रकरण संख्या 22/75/24 में पारित आदेश दिनांकित 30.01.2024 के विरूद्ध माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो कालातंर में अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. प्रार्थी तरूण सैनी ने एक परिवाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 31.08.2022 को न्यायालय में अंतर्गत धारा 188, 217 आई.पी.सी का इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या 5 से 8 बैंक कॉलोनी में निवास करते हैं और वह लगभग पन्द्रह-बीस गाय व भैंस रखते हैं और उनको सरकारी सडक पर बांधते हैं जिससे सडक पर गोबर आदि हो जाता है और कूडा कचरा फैल जाता है। और सरकारी सडक पर अतिक्रमण किया हुआ है। जिससे मौहल्लेवासियों को परेशानी होती है। इस संबंध में परिवादी ने धारा 133 सीआरपीसी का एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर के यहां प्रस्तुत किया । जिसका मुकदमा नंबर 19/15/2020 है।

3. जिस पर दोनों पक्षों को सुनकर जांच के पश्चात दिनांक 17.01.22 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को दिनांक 26.02.22 को आदेश पारित किया गया था । जो निम्न प्रकार है-"गैरसायल श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री कजोडराम जाति सैनी निवासी बैंक कॉलोनी अलवर द्वारा बैंक कॉलोनी अलवर में अवैध रूप से जो डेयरी का संचालन किया जा रहा है तथा भैंसों को उसके द्वारा सार्वजनिक सडक पर बांधा जाता है जिसके कारण गोबर व पेशाब भैंसो द्वारा किये जाने से न्यूसेंस बना हुआ है। उसे आदेश प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर बंद कराये तथा आदेश की पालना से इस न्यायालय को अवगत कराये ।"

4. अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने उक्त आदेश की अनुपालना में केवल पांच सौ रूपये का चालान काटा और उसके बाद अप्रार्थी संख्या 5 से 8 ने पुनः न्यूसेंस जारी किया हुआ है। इस संबंध में प्रार्थी के द्वारा पुनः शिकायत आने पर अप्रार्थी संख्या 5 से 8 के परिवार के व्यक्ति प्रार्थी के घर पर आये और उसकी गाडी संख्या आर.जे 32 सी.ए 0092 के आगे पीछे के शीशे तोड दिये । उसको छः हजार रूपये का नुकसान हुआ और उसके साथ मारपीट की । जिस पर उसके द्वारा एफ.आई.आर दर्ज करवायी

DEEPA JOSHI
Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.02.27 16:26:03 +0530

गयी । जिसमें अप्रार्थी संख्या 5 दिनेश की पत्नि गुड्डी सैनी व अप्रार्थी संख्या 6 कैलाश की पत्नि संतोष के खिलाफ भी चालान पेश हुआ ।

5. इसके बाद प्रार्थी ने पुनः एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 133 सीआरपीसी का प्रस्तुत किया। जिसमें दिनांक 17.02.21 को आदेश पारित किया गया और अप्रार्थीगण को न्यूसेंस हटाने के लिए पाबंद किया गया । परन्तु उसके बावजूद अप्रार्थीगण ने कोई न्यूसेंस नहीं हटाया और अन्य अप्रार्थी संख्या 1 से 4 न्यूसेंस हटाने के लिए अत्यधिक लापरवाही कर रहे हैं। अतः कार्यवाही की जाए ।

6. उक्त परिवाद दर्ज किया जाकर धारा 200 द.प्र.सं. के तहत तरूण सैनी के बयान लिये गये । तथा प्रार्थी के परिवाद को दिनांक 30.01.2024 को खारिज किया गया । जिसकी निगरानी दिनांक 27.03.2024 को इस न्यायालय में पेश की गयी ।

7. प्रार्थी/निगरानीकार के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 5 से 8 को बार-बार पाबंद करने के बावजूद वह न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं और न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 भी अप्रार्थी संख्या 5 से 8 के कार्य को बढावा दे रहे हैं और आदेश की पालना नहीं करवा रहे हैं। तथा विचारण न्यायालय ने उचित आदेश पारित नहीं किया है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही की जाए । और प्रार्थी के द्वारा मारपीट के बाबत सी.डी भी पेश की गयी है जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के साथ मारपीट भी की है। अतः कार्यवाही की जाए ।

8. इस संबंध में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि जिन आदेशों की पालना के बाबत प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उक्त आदेश एस.डी.ओ न्यायालय के हैं और एस.डी.ओ न्यायालय के आदेश की अनुपलाना सिविल न्यायालयों द्वारा या फौजदारी न्यायालयों द्वारा नहीं करवायी जा सकती है। तथा प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह पूर्ण रूप से उचित है। अतः उक्त आदेश की पुष्टि की जाए और निगरानी खारिज की जाए ।

9. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि परिवादी के द्वारा अपने परिवाद के साथ एस.डी.ओ न्यायालय का आदेश प्रस्तुत किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की पत्नि के विरूद्ध जो एफ.आई.आर दर्ज करवायी गयी उसके दस्तावेज भी उपलब्ध करवाये गये । तथा धारा 200 सीआरपीसी में प्रार्थी ने अपने बयान लेखबद्ध करवाये थे । उक्त बयानों का पुनः अवलोकन

DEEPA JOSHI
Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.02.27 16:26:11 +0530

करें तो प्रार्थी ने केवल अपने परिवाद में कहे कथनों की पुष्टि अपने बयानों में की है।

10. यदि बैंक कॉलोनी में अप्रार्थी संख्या 5 से 8 के द्वारा मवेशी आदि बांधकर कोई अतिक्रमण कार्य करके गंदगी आदि फैलाई जा रही थी तो इस संबंध में बैंक कॉलोनी के अन्य पडौसी भी इस चीज से निश्चित रूप से तंग व परेशान होते । प्रार्थी के द्वारा अपने अलावा किसी भी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति की साक्ष्य इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करवायी है ।

11. जहां तक एस.डी.ओ न्यायालय के आदेश की अनुपालना करने के संबंध में परिवाद में कथन कहे हैं तो एस.डी.ओ न्यायालय के आदेश की अनुपालना इस न्यायालय के द्वारा नहीं करवायी जा सकती है। इस संबंध में परिवादी ने जो परिवाद प्रस्तुत किया है उक्त परिवाद पूर्ण रूप से विधि के तथ्यों के विपरीत प्रस्तुत किया है।

12. जहां तक प्रार्थी द्वारा उसके साथ मारपीट होने आदि के संबंध में कथन कहे हैं और इस संबंध में सी.डी आदि प्रस्तुत की है तो प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र तथा अपने धारा 200 सीआरपीसी के बयानों में कहीं पर यह तथ्य अंकित नहीं किये हैं कि उसके साथ अप्रार्थी संख्या 5 से 8 ने किस दिन मारपीट की । और जो मारपीट हुयी थी इस संबंध में उसने एफ.आई.आर भी दर्ज करवायी । जिस पर चालान भी प्रस्तुत कर दिया गया ।

13. उसके बाद यदि अप्रार्थी संख्या 5 से 8 ने या किसी अन्य व्यक्ति ने प्रार्थी के साथ कोई मारपीट आदि की थी तो वह इस संबंध में पुलिस में एफ.आई.आर करवाने के लिए स्वतंत्र था । और यदि पुलिस ने एफ.आई.आर दर्ज नहीं की थी तो वह सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। परन्तु परिवादी द्वारा कौनसी तारीख की घटना है, किस समय की घटना है इस संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य अंकित नहीं किये और जो एक घटना मारपीट होने की बतायी है उसके संबंध में चालान वैसे ही प्रस्तुत किया जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में परिवादी ने उक्त परिवाद केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 से 8 को तंग परेशान करने के आशय से प्रसतुत किया जाना प्रतीत होता है।

14. ऐसी दशा में निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी समुचित आधार पर प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांकित 30.01.2024 में कोई अवैधता, त्रुटि, अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होने से प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर खारिज की जाने योग्य है।

Authenticated Document
DEEPA JOSHI
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.02.27 16:26:18 +0530

आदेश

15. अतः **निगरानीकार** की ओर से प्रस्तुत निगरानी **अस्वीकार कर खारिज** की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांकित 30.01.2024 में कोई अवैधता, अनियमितता अथवा त्रुटि प्रकट नहीं होने से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांकित 30.01.2024 पुष्ट किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3, अलवर

16. आदेश आज दिनांक 27.02.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3, अलवर

DEEPA JOSHI
Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.02.27 16:26:24 +0530